विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018 दूरभाष नं. 0141–2722520

क्रमांकः प.14(43)RSMSSB/अर्थना/चि.स्वा.वि./पैरा.मेडि./2016/498 दिनांक : 10.10.2016

विज्ञापन सं. 10/2016

पैरामेडिकल संवर्ग के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर के लिये राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 यथा संशोधित तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदों हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र मे ऑनलाईन आवेदन पत्र (On Line Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं :–

क्र. सं.	पद कोड संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या		
			गैर–अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	कुल पद
1.	01	सहायक रेडियोग्राफर	943	82	1025
2.	02	लैब टेक्नीशियन	1283	111	1394
3.	03	डेन्टल टेक्नीशियन	38	04	42
4.	04	नेत्र सहायक	164	14	178
		कुल पद	**2428**	**211**	**2639**

विशेष नोट :–

(1) On line Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करे। ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे चयन प्रकिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण **आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नही किया जाएगा।**

(2) आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रकिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

1. **आवेदन प्रक्रिया** :– आवेदन On line Application Form में लिये जाएंगे जिन्हे **राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क /जन सुविधा केन्द्र** के माध्यम से भरा जा सकता है। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व अपना E-mail ID बना ले एवं E-mail ID एवं Password याद रखें। यदि आवेदक ई–मित्र कियोस्क/ जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन भरता है तो ई–मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक सबसे पहले बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर recruitment पर Click करेगा। संबंधित भर्ती के सामने Apply Online पर Click करने पर Login Page खुलेगा जिसमे ई–मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक अभ्यर्थी के SSO ID एवं password से Login कर अभ्यर्थी का आवेदन भरेगा। जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत नही है उसका पहले Not a Registered User Link पर Click कर www.sso.rajasthan.gov.in पर उसका पंजीयन करेंगे। पंजीयन के उपरांत उसका SSO ID एवं password प्राप्त कर Login करेंगे। ई–मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक आवेदक का आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के बाद Application preview Page खोलकर अभ्यर्थी को उसका भरा हुआ आवेदन दिखायेगा। अभ्यर्थी स्वंय अपने भरे हुए आवेदन की पुनः गहनता से जांच करेगा। यदि आवेदन में कोई त्रुटि रह जाती है तो ई–मित्र कियोस्क संचालक अभ्यर्थी के आवेदन में आवेदक से परामर्श कर त्रुटियों को दूर करेगा। त्रुटियो को सुधारने के बाद आवेदक को पुनः उसके आवेदन का Preview दिखाकर यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही है। सही–सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click करेगा। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नही किया जा सकेगा। सम्पूर्ण आवेदन भरने के बाद अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क ई–मित्र कियोस्क पर जमा करावें। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रूपये **30/– (रूपये 20/–** आवेदन पत्र भरने हेतु + रूपये 10/– आवेदन शुल्क जमा कराने हेतु) सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देना होगा । आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी ई–मित्र कियोस्क संचालक से भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें। आवेदन को Submit करने मात्र से आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। आवेदन Submit करने के बाद फीस जमा होने पर ही ऑनलाईन आवेदन भरा हुआ माना जायेगा। यदि आवेदन Submit करने एवं फीस जमा कराने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। ऐसी स्थिति में ई–मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 पर सम्पर्क करें । ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें। उपरोक्त प्रकिया से आवेदक स्वयं भी ऑनलाईन आवेदन भर सकता है।

अभ्यर्थी अपने SSO ID एवं password से Login करेगे। इसके पश्चात् Dashboard पर Ongoing Recuirtment पर संबंधित भर्ती के Apply now link पर Click कर अपना आवेदन भरेगे। आवेदन पूर्ण रूप से भरने के बाद Next पर Click करने पर Application preview Page खुलेगा। अभ्यर्थी स्वंय अपने द्वारा भरे गये आवेदन की पुनः गहनता से जांच कर ले तथा यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो अभ्यर्थी Update पर Click करके अपने आवेदन में संशोधन कर त्रुटियों को सही कर सकता है। त्रुटियो को सुधारने के बाद आवेदक पुनः अपने आवेदन का Preview देख कर यह सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही है। अभ्यर्थी सही–सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click कर अपना आवेदन भरेगे। आवेदक अपना आवेदन Submit करने के बाद OK पर Click करेगे। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नही किया जा सकेगा। OK पर Click करने के बाद Pay Fees का Page खुलेगा। अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क नेट बैकिंग/ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ई–मित्र के माध्यम से जमा करवा सकता है। आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें। यदि आवेदन Submit करने एवं फीस जमा कराने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। ऐसी स्थिति में ई–मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 पर सम्पर्क करें । ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें। आवेदन की रसीद अभ्यर्थी को ई–मेल/एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी। **हाथ से भरे आवेदन–पत्र किसी भी रूप से चयन बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किये जावेंगे।**

नोटः–

1. आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही–सही भरी गई है। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जावेगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें। **एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।**
2. **अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरान्त रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें।**
3. **आवेदक यह ध्यान दें कि ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त उन्हे आवेदन–पत्र कमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन–पत्र कमांक (एप्लीकेशन आई.डी.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन–पत्र जमा नही हुआ है। आवेदक आवेदन प्रपत्र के preview को आवेदन submit न मानें।**
4. कृपया ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने से पूर्व बोर्ड की बेवसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति एवं अभ्यर्थियों के लिये आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देशो का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लें। इस विज्ञप्ति एवं उक्त दिशा–निर्देशो को ध्यान में रखकर ही ऑनलाइन आवेदन भरें।

2. आवेदन शुल्क :–

आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार आवेदन शुल्क **राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)** के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजे।

(क) सामान्य वर्ग व कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु – **रूपये 650/–**

(ख) राजस्थान के नॉन कीमलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु – **रूपये 450/–**

(ग) समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु – **रूपये 350/–**

नोटः–

1. आवेदकों की सुविधा के लिये राज्य के समस्त **ई–मित्र कियोस्क** तथा **जन सुविधा केन्द्र (C.S.C)** की सूची बोर्ड की बेवसाइट पर उपलब्ध है।
2. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क देना होगा।
3. फीस एक बार जमा होने पर वापिस नहीं लौटाई जायेगी।
4. फीस जिस श्रेणी की जमा कराई जाती है, अभ्यर्थी को उसी श्रेणी का माना जायेगा। बाद में अभ्यर्थी की श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

3. पैरामेडिकल संवर्ग के विभिन्न रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है:—

(क) सहायक रेडियोग्राफर (पद कोड–01)

	कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				विशेष पिछड़ा वर्ग				क्षैतिज आरक्षण (Horizontal)			
																						निःशक्तजन		भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी
		सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	HI	LD/CP (One Leg)		
गैर अनुसूचित क्षेत्र	939	306	89	34	8	105	31	11	2	79	23	08	02	137	40	15	03	33	10	03		14	14	117	18
बारां जिले के सहरिया (आदिम जाति) हेतु	04	03 (सहरिया पुरुष)	01 सहरिया महिला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-				
अनुसूचित क्षेत्र	82	30	09	03	-	03	01	-		26	08	02	-	-	-	-	-		-		-	02	01	10	01

(ख) लैब टैक्नीशियन (पद कोड–02)

	कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				विशेष पिछड़ा वर्ग				क्षैतिज आरक्षण (Horizontal)			
																						निःशक्तजन		भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी
		सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	HI	LD/CP (One Leg, Both Leg)		
गैर अनुसूचित क्षेत्र	1277	416	120	47	11	143	40	16	04	106	30	12	03	187	53	21	05	45	12	05	01	20	19	160	25
बारां जिले के सहरिया (आदिम जाति) हेतु	06	04 (सहरिया पुरुष)	02 सहरिया महिला	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-		-				
अनुसूचित क्षेत्र	111	40	11	05	01	04	01			35	09	04	01		-	-		-				02	02	13	02

(ग) डेन्टल टैक्नीशियन (पद कोड–03)

	कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				विशेष पिछड़ा वर्ग				क्षैतिज आरक्षण (Horizontal)			
																						निःशक्तजन		भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी
		सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	HI	LD/CP (One Leg)		
गैर अनुसूचित क्षेत्र	38	07	03	-	-	09	03	-	-	09	03	-	-	03	01	-	-	-	-	-		01	-	05	-
बारां जिले के सहरिया (आदिम जाति) हेतु	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-		-	-				
अनुसूचित क्षेत्र	04	01	-	-		-	-	-		03	-		-		-	-	-	-	-	-		-	-		

(घ) नेत्र सहायक (पद कोड–04)

	कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				विशेष पिछड़ा वर्ग				क्षैतिज आरक्षण (Horizontal)			
																						निःशक्तजन		भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी
		सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	HI	LD/CP (One Leg, Both Leg)		
गैर अनुसूचित क्षेत्र	164	56	16	06	01	18	05	02	-	14	04	01		23	08	02	-	06	02		-	03	02	21	03
बारां जिले के सहरिया (आदिम जाति) हेतु		-		-	-	-	-		-	-		-		-	-	-	-		-		-				
अनुसूचित क्षेत्र	14	06	02	-	-		-	-		05	01		-			-		-			-	01		01	

नोटः–

1. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगें। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी है और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता–पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे है।
2. अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अंकन नही करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये विचार नही किया जायेगा।
3. गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरूद्ध भी अनुसूचित क्षेत्र के निवासी आवेदन कर सकेंगें।
4. अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 13(20) कार्मिक/क–2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी।
5. निःशक्तजन, महिला, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाडी के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) होगा।
6. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढोतरी की जा सकती है। इसके लिये अलग से कोई विज्ञापन/सूचना/शुद्धि पत्र जारी नही किया जायेगा।

विशेष सूचनाः–

1. कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनूसूचित जाति/अनूसूचित जनजातियों के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी।

   परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप–नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा।

   परन्तु यह और कि इस उप–नियम के अधीन सामान्य प्रकिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षो में उपलब्ध हो।
2. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जाएगा।
3. महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यथियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।
   स्पष्टीकरणः– किसी वर्ग(अनारक्षित पद(सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
4. महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह विछिन्न महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नही होती है तो विधवा के लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह –विछिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नही होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनो ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नही होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को भी विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
5. विशेष पिछडा वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.7(2)/डीओपी/ए–II/2015–(1) दिनांक 16.10.2015 के अनुसार राजस्थान राज्य के विशेष पिछडा वर्ग की जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 5 प्रतिशत आरक्षण देय है।
6. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.03.2014 के अनुसार सामान्य पदों के विरूद्व चयन हेतु आरक्षित वर्ग(राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग/राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने आयु एवं शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।
7. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।
8. बांरा जिले की सहरिया आदिम जाति के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही उन्हे बारा जिले में सहरिया जाति के लिये राज्य सरकार के निर्देश कमांक प.13(20) कार्मिक/क–2/91पार्ट दिनांक 21.05. 2013 के अनुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।

12. भूतपूर्व सैनिकों हेतुः– भूतपर्व सैनिको को आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के प्रावधानो के अनुसार भूतपूर्व सैनिको के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है। भूतपूर्व सैनिक के पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग) का उपलब्ध

होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। उपयुक्त भूतपूर्व सैनिको की अनुपलब्धता के कारण इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जा सकेगा।

13. **उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतुः– उत्कृष्ट खिलाडियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.5(31)DOP/A-II/84 दिनांक 15.03.2013 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा। उत्कृष्ट खिलाडी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।** इस आरक्षित पद हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जाएगी।

उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान :– कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए–II/84 दिनांक 15–03–2013 के तहत किये गये संशोधन के अनुसार "उत्कृष्ट खिलाडियों" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है, राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने :–

1. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

   या

2. इण्डियन स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

   या

3. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

   या

4. इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

कृपया ध्यान दें कि यदि किसी आवेदक ने जान–बूझकर बिना साक्ष्य गलत आरक्षण श्रेणी अंकित की है, तो बोर्ड द्वारा आवेदक के विरूद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है।

14 विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) के लिये :–

a. The Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 की धारा–32 एवं Rajasthan Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) नियम, 2011 के नियम–36 के अनुसार निःशक्तजन की निम्न लिखित श्रेणी के लिये ही आरक्षण देय है:–
   1. HI(Hearing Impairment)
   2. LD/CP(Locomotor Disability and Cerebral Palsy)

b. विशेष योग्यजन के लिये दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।

c. उपरोक्त दर्शाए गए विशेष योग्यजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर अधिकार व संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के अनुसार भरा जावेगा। विशेष योग्यजन के उक्त नियम के नियम 38(4)के अनुरूप उपरोक्त विशेष योग्यजनों की अनुपलब्धता के कारण अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से पद भरा नहीं जा सकता तो वहाँ ऐसी रिक्ति को अग्रणीत किया जाएगा।

d. विशेष योग्यजन आवेदक On line application form में यथास्थान अपने वर्ग एवं विशेष योग्यजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।

e. ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन की श्रेणी में आते है, अपनी विशेष योग्यजन के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 2(1)(b) के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र (Permanent Disability Certificate) में विशेष योग्यजन का स्पष्ट प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (विशेष योग्यजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही अभ्यर्थी को विशेष योग्यजनों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।

4. अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश :–

1. **अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 13(20) कार्मिक/क–2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी।**
2. **अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम–2014 के अधीन होगा। जहां पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नही है, वहां पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 यथा संशोधित के प्रावधान लागू होंगे।**

3. **अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति, द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ. 19(2) 80–एल–1 दिनांक 12.02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र है। राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का विवरण बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के लिए आवेदन व परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश में उपलब्ध है।**
4. रिजर्विस्टों अर्थात रक्षा सेवा कार्मिको जिनकों रिजर्व में स्थानान्तरित किया गया था के लिए उपर्युक्त उल्लिखित अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
5. राज्य, पंचायत समिति तथा जिला परिषदो और राज्य पब्लिक सेक्टर उपकम/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी हैसियत सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

नोटः– अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, राष्ट्रीयता, आयु, पेंशन, विवाह पंजीयन, आवदेन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने, नियुक्ति की अयोग्यताएं एवं प्रमाण–पत्रों के सत्यापन संबंधी प्रावधान गैर–अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होगें।

5. वेतनमानः–

(i) सहायक रेडियोग्राफर (पद कोड 01) एवं लैब टैक्नीशियन (पद कोड 02) पद का वेतनमान रनिंग पे बेण्ड (5200–20200रू) ग्रेड पे रू 2800/– मासिक नियत पारिश्रामिक नियमानुसार।

(ii) डेन्टल टैक्नीशियन (पद कोड 03) एवं नेत्र सहायक (पद कोड 04) पद का वेतनमान रनिंग पे बेण्ड (5200–20200रू) ग्रेड पे रू 2400/– मासिक नियत पारिश्रामिक नियमानुसार।

6. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यताः–

आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय, आवेदक की निम्नलिखित योग्ताएं होनी चाहिए :–

क्र.सं.	पद का नाम एवं पद कोड	शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता
1.	सहायक रेडियोग्राफर (पद कोड 01)	Senior Secondary in Science with either Biology or Mathematics or its equivalent with Radiography course passed from an institute recognized by the Rajasthan state Government/Central Government/Rajasthan Para Medical Council. and Registered in Rajasthan Para Medical Council. and Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthan Culture.
2.	लैब टैक्नीशियन (पद कोड 02)	Senior Secondary in Science with either Biology or Mathematics or its equivalent with diploma in Medical Lab Technician from an institute recognized by the Rajasthan state Government/Central Government/Rajasthan Para Medical Council. and Registered in Rajasthan Para Medical Council. and Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthan Culture.
3.	डेन्टल टैक्नीशियन (पद कोड 03)	Secondary or its equivalent with 2 Years certificate course of dental hygienist/dental mechanic recognized by Dental Council of India or from institute recognized by Rajasthan State Government. and Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthan Culture.
4.	नेत्र सहायक (पद कोड 04)	Senior Secondary (10+2) with Physics, Chemistry and Biology. and Two years training course from institute recognized by Rajasthan State Government. and Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthan Culture.

अन्य योग्यताऐं :–

(1) **स्वास्थ्य** :– पैरामेडिकल संवर्ग के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि पैरामेडिकल संवर्ग के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडीकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है।

(2) **चरित्र** :– सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह पैरामेडिकल संवर्ग के पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके । उसे सद्चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होगें जो आवेदन–पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नही हो।

7. राष्ट्रीयता :–

(क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या
(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या
(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1–1–62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या
(ड.) भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिया तथा जंजीबार), जाम्बिया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।

नोटः–परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख),(ग),(घ),(ड.) से सम्बन्धित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. आयुः–

आवेदक 1, जनवरी 2017 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 35 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7/6/कार्मिक/क–II/2008 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार "जिस भर्ती वर्ष विशेष मे सीधी भर्ती के पदों के लिये भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नही दी जावेगी।"

स्पष्टीकरणः– चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान द्वारा वर्ष 2013 के बाद उक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी नही होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की और छूट दी जाएगी।

उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी :–

1. आयु सीमा में छूट के प्रावधान :–
   (क) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियो के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
   (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
   (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की स्थायी निवासी है, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।
2. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
3. इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा मे थे, तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे विभाग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हो और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे, तो उन्हें 2 अवसर दिये जावेंगे।
4. एन.सी.सी. के कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपर्युक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जाएगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जाएगा।
5. राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में सेवारत कर्मचारी जो अधिष्ठायी (Substantive) हैसियत से कार्य कर रहे है की ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष होगी।
6. भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
7. उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धी के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जायेगी।

8. रिलीज्ड इमरजेन्सी कमीशन्ड ऑफिसर/सोर्ट सर्विस कमीशन्ड सेवा में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे, तो सेवा से रिहा होने के बाद विभाग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हो, पात्र समझा जावेगा।

9. आयोग के कार्य–क्षेत्र के भीतर न आने वाले पदों पर भर्ती के लिए उन व्यक्तियों की , जिनकी रिक्ति के अभाव में या पद की समाप्ति के कारण राज्य सरकार की सेवा से छंटनी कर दी गयी थी, ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष होगी बशर्ते कि वे उन पदों पर, जिन पर से उनकी प्रथमतः छंटनी की गयी थी, प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इन नियमों के अधीन विहित अधिकतम आयु सीमा में थे परन्तु यह तब जबकि भर्ती के सामान्य विहित माध्यमों की सम्यक् रूप से अनुपालना कर ली जाये और अर्हता, चरित्र, चिकित्सीय आरोग्यता आदि से संबंधित समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति कर ली जाये तथा उनकी छंटनी शिकायत या उपचार के कारण नहीं हुई हो और वे अंतिम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिया गया अच्छी सेवाओं का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दें।

10. पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, टांगानिका, युगाण्डा और जंजीबार से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

11. बर्मा और श्रीलंका से 01.03.1963 को या इसके पश्चात् पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, टांगानिका, युगाण्डा और जंजीबार से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामलें में उपरिवर्णित उपरी आयु सीमा को 45 वर्ष तक शिथिल किया जावेगा साथ ही अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के मामले में उसे 05 वर्ष और शिथिल किया जायेगा।

12. 1971 के भारत–पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नही होगी।

13. विधवाओं और विवाह–विछिन्न महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम हो।

स्पष्टीकरणः– विधवा महिला के मामले में उसे किसी सक्षम प्राधिकारी का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विवाह–विछिन्न महिला के मामले में विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

14. राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का (समान निःशक्तजन व्यक्तियों का समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्णभागीदारी) नियोजन नियम 2011 के अनुसार विशेष योग्यजन को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय होगीः–
   1. सामान्य वर्ग के विशेष योग्यजन हेतु 10 वर्ष
   2. पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के विशेष योग्यजन हेतु 13 वर्ष
   3. अ0जा0/अ0ज0जा0 के विशेष योग्यजन हेतु 15 वर्ष

15. ऊपर वर्णित आयु सीमा में, आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आने वाले पदों के लिये, अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के अधीन, मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मेडिकेयर रिलिफ सोसाईटी, एड्स कंट्रोल सोसाईटी, सहकारी विभाग के अधीन संस्थान या सहकारी उपभोक्ता भण्डार, राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, झालावाड अस्पताल और मेडिकल कॉलेज सोसाईटी, आई.डी.एस.पी. या राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में समान पद (Similar Post) पर किसी भी capacity में उनके कार्यानुभव अवधि की सीमा तक अथवा अधिकतम 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जायेगी। उक्त आयु सीमा में छूट का लाभ सक्षम प्राधिकारी से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।

नोटः–

(क) संस्थाई कर्मचारी को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट तभी दी जावेगी यदि अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक तक संस्थाई कर्मचारी की श्रेणी में हो अन्यथा आवेदक की अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं दी जावेगी ।

(ख) आयु संबंधी छूट की अधिक जानकारी के लिये राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 यथा संशोधित तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधन, निर्देश, परिपत्र एवं अधिसूचना का अध्ययन करें।

(ग) उपरोक्त पैरा 8 के प्रावधान संख्या 1 से 14 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त पैरा 1 से 14 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(घ) ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ विभाग से प्राप्त पदों के वर्गीकरण (Category wise) के अनुसार ही देय होगा अर्थात अगर किसी वर्ग (Category) के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होगा तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में तत्सम्बन्धी छूट का लाभ देय होगा।

9. पेंशनः–

नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

10. विवाह पंजीयन :– शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22–5–2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है । तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

11. आवेदन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि –

(क) आवेदन शुल्क राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.), नेट बैंकिंग, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से **दिनांक 24.10.2016 को मध्य रात्रि 12 बजे से दिनांक 24.11.2016 को मध्य रात्रि 12 बजे** (ई–मित्र एवं जन सुविधा केन्द्र पर रात्रि 8 बजे) तक जमा कराया जा सकता है।

(ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र **दिनांक 24.10.2016 को मध्य रात्रि 12 बजे से दिनांक 24.11.2016 को मध्य रात्रि 12 बजे** तक बोर्ड की वेबसाईट पर भरें जा सकते है (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाऐगा)। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करे।

12. चयन प्रकिया :–

(i) इस विज्ञप्ति में विज्ञापित पदों पर चयन प्रकिया राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 19 में संशोधन 06.02.2013 एवं दिनांक 30.08.2013 के प्रावधान "Provided that in case of appointment to the posts other than pharmacist, which are not in the purview of the commission, merit shall be prepared by the appointing authority on the basis of marks obtained in such qualifying academic examination or professional examination or both as specified in the schedule appended to these rules and such bonus marks as may be specified by the state government having regard to the length of experience on similar work under the government, National Rural Health Mission, Medicare Relief Society, Chief Minister Jeevan Raksha Kosh, AIDS Control Society, Revised National Tuberculosis Control Programme (RNTCP), Jhalawar Hospital and Medical College Society, Integrated Disease surveillance Project or State Institute for Health and Family Welfare." के अनुसार होगी।

(ii) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग के आदेश कमांक आई.डी. 49/चिस्वा./ग्रुप–3/2015 दिनांक 28.01.2015 के अनुसार विज्ञापित पदों की वरीयता सूची तैयार करने के लिये अभ्यर्थी द्वारा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 की अनुसूची में वर्णित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा अथवा न्यूनतम व्यावसायिक योग्यता परीक्षा अथवा दोनों जैसी भी स्थिति हो, में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्तांको के प्रतिशत के औसत प्रतिशत का 85 प्रतिशत वेटेज दिया जावेगा। इन प्राप्त प्रतिशत अंकों में अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों के लिये बिन्दु संख्या 12 (i) के अनुसार बोनस अंकों प्रतिशत (अधिकतम 15) सीधे ही जोडकर वरीयता सूची बनाई जावेगी।

(iii) फार्मासिस्ट के अतिरिक्त अन्य पद जो राजस्थान लोक सेवा आयोग की परिधि में नहीं है, के लिये राज्य सरकार के अधीन समान कार्य के लिये National Rural Health Mission, Medicare Relief Society, Chief Minister Jeevan Raksha Kosh, AIDS Control Society, Revised National Tuberculosis Control Programme (RNTCP), Jhalawar Hospital and Medical College Society, Integrated Disease surveillance Project or State Institute for Health and Family Welfare में कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को उनके अनुभव के अनुसार प्रत्येक पूर्ण एक वर्ष के अनुभव पर 5 बोनस अंक एवं अधिकतम 15 बोनस अंक दिये जायेगें।

(iv) माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा याचिका संख्या 3622/2013 में पारित निर्णय दिनांक 29.04.2013 की पालना में विभाग में NGO/Placement Agency के माध्यम से संविदा पर कार्यरत कर्मियों को समान कार्य एवं समान पद के आधार पर निर्धारित प्रपत्र में विभाग द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक देय होंगे।

(v) एक वर्ष से कम अवधि के लिये कोई बोनस अंक देय नहीं होगा। 365 दिवस पूर्ण होने पर ही एक वर्ष माना जावेगा।

13. अनुभव प्रमाण–पत्र

(i) अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय उपरोक्त बिन्दु संख्या 12 में वर्णित राज्य सरकार के अधीन संस्थाओं में कार्य करने का विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह अनुभव प्रमाण पत्र विज्ञापित पदो के लिये ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथी से पूर्व का जारी किया हुआ होना आवश्यक है। अनुभव प्रमाण–पत्र का प्रारूप संलग्नक–अ पर संलग्न है।

(ii) राजस्थान सरकार के अधीन प्रधानाचार्य राजकीय मैडिकल कॉलेज/प्रधानाचार्य राजकीय डेन्टल कॉलेज/निदेशक (जन स्वास्थ्य)/निदेशक (आरसीएच)/निदेशक(आई.ई.सी.)/निदेशक (एड्स)/अधीक्षक संलग्न चिकि. परियोजना निदेशक, एनआरएचएम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, निदेशक एमएसयू, निदेशक आरआरसी, मु.सा. विश्लेषक को उनके अधीन कार्य करने के आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी माना जावेगा। यदि विभाग द्वारा किसी अन्य अधिकारी को भी सक्षम अधिकारी घोषित किया जाता है तो उसके द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण–पत्र चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं विभाग के संबंधित जोन के संयुक्त निदेशक द्वारा प्रमाणित किया हुआ होना आवश्यक है।

(iii) माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा याचिका संख्या 3622/2013 में पारित निर्णय दिनांक 29.04.2013 की पालना में विभाग में NGO/Placement Agency के माध्यम से संविदा पर कार्यरत कर्मियों को समान कार्य एवं समान पद के आधार पर निर्धारित प्रपत्र में विभाग द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक देय होंगे। यह अनुभव प्रमाण पत्र विज्ञापित पदो के लिये ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथी से पूर्व का जारी किया हुआ होना आवश्यक है। अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप विज्ञप्ति के साथ संलग्नक–ब एवं स पर संलग्न है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण–पत्र चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं विभाग के संबंधित जोन के संयुक्त निदेशक द्वारा प्रमाणित किया हुआ होना आवश्यक है।

(iv) ऑनलाईन आवेदन में भी अनुभव के संबंध में निर्धारित कॉलम में आवश्यक प्रविष्टियां की जानी आवश्यक है। यदि ऑनलाईन आवेदन में अनुभव के कॉलम में आवश्यक प्रविष्टियां नहीं की गई है तो ऐसे अभ्यर्थियों को वरियता सूची बनाते समय बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(v) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने के सत्यापन के पश्चात् ही बोनस अंक/आयु में शिथिलता नियमानुसार दी जावेगी एवं विभाग द्वारा चाहे जाने पर मूल अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(vi) अनुभव प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। ऑनलाईन आवेदन के साथ अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने पर अनुभव के आधार पर बोनस अंक देय नहीं होगे एवं बाद में कोई अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

14. अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में :–

सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में है या सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है, उन्हे अपने नियोक्ता को इस भर्ती के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करते हुये आवेदन करना चाहिए।

15. नियुक्ति की अयोग्यताऐं :–

(1) किसी भी ऐसे पुरूष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

(2) किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा । किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है ।

(3) कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो ।

(4) कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड ने छद्मकारिता (अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताना) करने, या कांट–छांट किए हुए जाली दस्तावेज पेश करने या गलत बयान देने या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने पर वह अपने आप को फौजदारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए, स्थाई रूप से या राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बहिष्कृत (Debarred) कर दिया जायेगा। यदि किसी आवेदक को बोर्ड द्वारा आगामी परीक्षा में बैठने से पूर्व में ही बहिष्कृत (Debarred) किया गया है और बहिष्कार की अवधि पूरी नही हुई है, ऐसे आवेदक नियुक्ति के पात्र नही होगें।

16. आवेदन कैसे करे:–

आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट– राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

कृपया ध्यान दे:–

1. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध **विस्तृत विज्ञापन एवं अभ्यर्थियो के लिये आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश के साथ–साथ, संबंधित सेवा नियमों** का भी गहनता से अध्ययन कर लें।
2. ऑनलाईन आवेदन पत्र आवेदन करने की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन में वर्णित पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही गई आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम मे सही–सही एवं पूर्ण रूप से भर दी गई है। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुये भर्ती प्रकिया में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। आवेदक यह भी सुनिश्चित करेगे कि आवेदक ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक पात्रता की समस्त शर्ते पूर्ण करता हों। शैक्षणिक योग्यता, आयु, जातिवर्ग तथा अन्य पात्रता की समस्त शर्ते ऑनलाईन आवेदन की तिथि तक पूर्ण करना आवश्यक है। यदि आवेदक इस संबंध में ऑनलाईन आवेदन में गलत सूचना अंकित करता है, तो राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड की परीक्षाओं में अनुचित साधनो की रोकथाम रेग्यूलेशन, 2016 के नियम 6 मे वर्णित सूची की क्रम संख्या 5 व 6 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें आवेदक की चयन प्रकिया को निरस्त किया जाना भी सम्मलित है।
3. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी On line Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा On line Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात् वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को जो सही वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं उन्हे विज्ञापित पदों हेतु वर्ग विशेष का लाभ देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना–पत्र पर विचार किया जाएगा।

4. बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जायेगा और परिणाम घोषित होने के बाद इसमें सुधार हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर परिणाम निरस्त कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र मे की गई प्रविष्टियो में अन्तिम दिनांक के पश्चात् किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नही दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
5. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होगें, ऐसे आवेदकों को बोर्ड द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ संबंधित विभाग में प्रस्तुत करना होगा। संबंधित विभाग या बोर्ड द्वारा उम्मीदवार के मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि शैक्षणिक योग्यता, आयु, जातिवर्ग यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग, विधवा, परितयक्ता, भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाडी, या अन्य शर्तो की पालना नही करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस भर्ती हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर बोर्ड द्वारा रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
6. अभ्यार्थियों की सुविधा हेतु विस्तृत विज्ञापन राजस्थान रोजगार सन्देश के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है एवं बोर्ड की वेबसाइट **www.rsmssb.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

7.फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा–निर्देश

फोटो अपलोड़ करने के लिए दिशा–निर्देश :–

a. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
b. आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम छः माह पुराना) अपलोड करनी चाहिए। मोबाईल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नही करें।
c. फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
d. फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।
e. फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोडी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
f. यदि आप चश्मा पहनते है, तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं लेकिन चश्में पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।
g. आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।
h. फोटो जेपीईजी (JPEG) प्रारूप में होना चाहिए एवं इसकी साईज 3.5 cm × 4.5 cm होनी चाहिए।
i. फोटो जेपीईजी (JPEG) के पिक्सेल न्यूनतम 240 × 320 एवं अधिकतम 480 × 640 (0.3 मेगापिक्सल) होना चाहिए।
j. फाईल का आकार 50 के.बी. से 100 के.बी. तक होना चाहिए।
k. स्कैन की गई फोटो का आकार 100 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

8.हस्ताक्षर अपलोड़ करने के लिए दिशा–निर्देश :–

a. आवेदक एक सफेद कागज (A4 size) पर 7 सेमी चौडाई एवं 2 सेमी ऊँचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें।
b. हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।
c. आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्केन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात् अपलोड करें।
d. केवल जेपीईजी (JPEG) प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा।
e. जेपीईजी (JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सेल 280 × 80 से अधिकतम पिक्सेल 560 × 160 होना चाहिए।
f. फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए।
g. हस्ताक्षर का आकार 50 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए
h. मोबाईल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

17. प्रमाण–पत्रों को ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड करना :–

ऑनलाईन आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की रंगीन प्रति अपलोड करना आवश्यक है:–

(i) विज्ञप्ति की बिन्दु संख्या 6 में वर्णित शैक्षणिक योग्यता एवं व्यावसायिक योग्यता परीक्षा की अंकतालिका।

(ii) आयु संबंधी प्रमाण–पत्र यथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की अंकतालिका/प्रमाण–पत्र।

(iii) आयु में यदि छूट चाही जा रही है तो आयु में छूट से संबंधित प्रमाण–पत्र।

(iv) आवेदक का आरक्षित वर्ग विशेष यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र।

(v) क्षैतिज आरक्षण के लिये विशेष योग्यजन, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाडी, विधवा एवं परित्यक्ता का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(vi) पद कोड संख्या 1 एवं 2 के लिये राजस्थान पैरा मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन प्रमाण–पत्र।

(vii) राजस्थान राज्य सरकार के अधीन विभागों में कार्य करने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण–पत्र।

(viii) विज्ञप्ति की बिन्दु संख्या 12(iv) में वर्णित N.G.O./ Placement Agency का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण–पत्र।

(ix) अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिये विज्ञप्ति की बिन्दू संख्या 3 के नीचे अंकित नोट संख्या 1 में वर्णित अनुसार अनुसूचित क्षेत्र का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण–पत्र।

(x) बारां जिले की सहरिया आदिम जाति का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र।

(xi) अभ्यर्थी के विवाहित होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र। विधवा अभ्यर्थी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में विवाह के संबंध में शपथ पत्र अपलोड करे।

(xii) अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र।

नोटः–

1. उपरोक्त बिन्दू संख्या 17 में वर्णित प्रमाण पत्रों में से जो लागू हो, के प्रमाण पत्र की रंगीन प्रति ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड करनी आवश्यक है।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण–पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र आवश्यक है। पति के आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नही होगा।
3. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form पर सामान्य आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र On line Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनाक के पूर्व का जारी होना चाहिए अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण–पत्र पर विचार नही किया जाएगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को भी उनके पिता/माता के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।

18. बोर्ड की वेबसाइटः– आवेदक बोर्ड की वेबसाइट **www.rsmssb.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141–2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर–302018 को सम्बोधित किया जायेगा।

(प्रदीप कुमार बोरड़)
सचिव

संलग्नक 'अ'

कार्यालय.....

क्रमांक :–..... दिनांक :– .....

अनुभव प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है श्री/श्रीमती/कुमारी .....पुत्र/पत्नि/पुत्री..... निवासी.....की नियुक्ति.....के आदेश क्रमांक.....दिनांक.....के द्वारा .....के पद पर संविदा/व्यक्तिगत अनुबंध/अस्थाई आधार पर..... योजना में की गई थी, जो इस पद पर कार्यालय का नाम..... दिनांक..... से दिनांक.....तक कार्यरत है/रहा है/रही है। इनकी उक्त पद पर कुल कार्य अवधि.....वर्ष.. .....माह.....दिन की है।

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

कार्यालय स्टाम्प.....

(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर मय नाम एवं पदनाम)

संलग्नक 'ब'

कार्यालय.....

क्रमांक :–..... दिनांक :– .....

अनुभव प्रमाण–पत्र
(सेवा एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों के लिये)

कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं सेवा एजेन्सी.....(सेवा एजेन्सी का नाम) के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती/..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....की सेवायें.....(पदनाम) हेतु..... (सेवा एजेन्सी का नाम) सेवा एजेन्सी द्वारा अनुबन्ध के आधार पर उपलब्ध करवाई गई है। इन्होंने..... योजना में दिनांक.....से दिनांक.....तक (कुल अवधि.....वर्ष.....माह.....दिन.....) (कार्यालय का नाम).....में कार्य किया है। यह प्रमाण–पत्र एस.बी.सिविल याचिका संख्या 3622/2013 मनोहर सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य/इसके आधार पर माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर निर्णित अन्य समान प्रकृति की रिट याचिका संख्या.....में माननीय उच्च न्यायालय के अध्यधीन रहेगा।

(हस्ताक्षर)

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर मय नाम एवं पदनाम

संलग्नक 'स'

सेवा एजेन्सी का नाम .....

क्रमांक :–..... दिनांक :– .....

अनुभव प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हमारी सेवा एजेन्सी .....एक पंजीकृत संस्था है। जिसके पंजीयन नम्बर.....है। हमारी सेवा एजेन्सी.....एवं ..... (कार्यालय का नाम).....के मध्य अनुबंध के आधार पर कार्मिकों की सेवाऐं उपलब्ध करवाने के संबंध में एक अनुबंध दिनांक.....को किया जाता है। इस अनुबंध एवं सेवा एजेन्सी के रिकॉर्ड के अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती..... (पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... .....की सेवायें.....(पदनाम) हेतु..... सेवा एजेन्सी द्वारा अनुबन्ध के आधार पर उपलब्ध करवाई गई है। इन्होंने.....योजना में दिनांक.....से दिनांक..... .....तक (कुल अवधि.....वर्ष.....माह.....दिन.....) (कार्यालय का नाम).....में कार्य किया है। इसके लिये श्री/सुश्री/श्रीमती..... (पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... को प्रतिमाह रू. .....कुल रू. ..... का भुगतान सेवा एजेन्सी द्वारा किया गया है। इनको किये गये भुगतान संदर्भ में लागू प्रावधानों के तहत प्रावधायी निधि (पीएफ) खाता संख्या.....में जमा राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	वर्ष	माह	पीएफ कटौती राशि	पीएफ जमा कराने की तिथि

दिनांक :–

(हस्ताक्षर)
अध्यक्ष/सचिव,
मय नाम संस्था की मुहर
.....(सेवा एजेन्सी का नाम)

सत्यापन

मैं.....पुत्र श्री.....उम्र.....जाति.....निवासी.....अध्यक्ष/सचिव.....(सेवा एजेन्सी का नाम) एतद द्वारा घोषणा कर सत्यापित करता हूं कि उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री..... के नियोजन के संबंध में उपलब्ध कराई गई उक्त समस्त सूचना पूर्णतया सही है। इसमें कुछ भी असत्य नहीं है एवं कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। किसी प्रकार की भ्रामक, असत्य अथवा त्रुटि पूर्ण पाये जाने पर मय स्वयं व्यक्तिगत रूप से एवं सामूहिक रूप से जिम्मेदार रहूँगा। कोई भी सूचना भ्रामक, असत्य अथवा त्रुटि पूर्ण पाये जाने पर विभाग द्वारा मेरे एवं मेरी संस्था के विरूद्ध कानूनी एवं दाण्डिक कार्यवाही की जा सकेगी।

हस्ताक्षर सत्यापन कर्ता